न्यायालय श्री पवन कुमार शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, उत्पाद न्यायालय–प्रथम,

कैमूर (भभुआ)।

ए.बी.पी. संख्या–827/2026

राज्य बनाम् अनिल कुमार

26.05.2026 आवेदक **अनिल कुमार** के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया। आवेदक ने कुदरा थाना कांड सं0–359/2024, धारा–30(a)बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2022 के अंतर्गत पुलिस द्वारा हिरासत में लिये जाने की संभावना के आधार पर वर्तमान आवेदन दाखिल किया है।

संक्षेप में सूचक का लिखित प्रतिवेदन है कि दिनांक–28.09.2024 को छापामारी के क्रम में करीब 17:00 बजे गुप्त सूचना मिली कि ग्राम–भदौला की तरफ केवढ़ी नहर के रास्ते से एक सी0एन0जी0 टेम्पू में शराब लेकर केवढ़ी के तरफ जा रहा है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुये समय करीब 17:20 बजे केवढ़ी मोड़ के पास सामने से एक सी0एन0जी0 टेम्पू पुलिस गाड़ी को देखकर वह अपने टेम्पू को पीछे घुमाकर भागने लगा तभी उस टेम्पू को पीछा किया तो उक्त टेम्पू के चालक मोड़ पर भीड़ को देखकर वह अपनी टेम्पू को मोड़ पर किनारे में लगाकर भाग गया। तत्पश्चात् तलाशी नियमों का पालन करते हुये तलाशी ली गयी। तलाशी के दौरान पकड़ाये गये उक्त टेम्पू का रजि0 नं0–BR45P6569 चेचिस नं0–MD2B47AXXPWG25687 के चालाक सीट के नीचे से 315 पीसविन्डसर लाईम देशी शराब मसाला, प्रत्येक 200 एम0एल0 जो कुल **108 लीटर देशी शराब** बरामद हुआ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कथित कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक द्वारा कहीं भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध उत्पाद अधिनियम से संबंधित कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक/अभियुक्त के भौतिक कब्जे से कोई भी वस्तु बरामद नहीं की गई है। आवेदक न्यायालय की संतुष्टि के लिये पर्याप्त जमानतें प्रस्तुत करने के लिये तथा न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने के लिये तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने की कृपा की जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध करते है

कि यह एक अग्रिम जमानत याचिका है और बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2022 की धारा–76(II) के अनुसार अग्रिम जमानत याचिका पोषनीय नहीं है।

दोनों पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनिल कुमार आवेदक/अभियुक्त इस कांड में नामित अभियुक्त नहीं है बल्कि उसका नाम सी0एन0जी0 टेम्पू रजि0नं0–BR45P6569 के वाहन स्वामी के रूप में केस डायरी के पैरा नं0–44 में आया है जिसमें यह कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त अनिल कुमार टेम्पू का द्वितीय वाहन स्वामी है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचक को सूचना मिली थी कि ग्राम–भदौला की तरफ केवढ़ी नहर के रास्ते से एक व्यक्ति सी0एन0जी0 टेम्पू में शराब लेकर केवढ़ी के तरफ जा रहा है जिसने सशस्त्र बल को देखने के पश्चात टेम्पू छोड़कर भाग गया, तलाशी के क्रम में टेम्पू से भारी व्यवसायिक मात्रा में कुल 108 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। प्राथमिकी एवं केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध घटनास्थल से जप्त टेम्पू के स्वामी होने के अलावा अन्य कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है परन्तु इस कांड में टेम्पू की संलिप्तता है और आवेदक/अभियुक्त टेम्पू का स्वामी है और उसी टेम्पू से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक/अभियुक्त शराब की तस्करी में शामिल था। यद्यपि कांड दैनिकी में आवेदक/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है किन्तु वर्तमान में यह मामला अनुसंधान के अधीन है तथा अनुसंधान के क्रम में अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के आने की प्रबल संभावना है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध भी प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह एक अग्रिम जमानत याचिका है और बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2022 की धारा–76(II) के अनुसार अग्रिम जमानत याचिका पोषनीय नहीं है। अतः इस अग्रिम जमानत याचिका को पोषनीय न मानते हुये **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित)

ह0/–

(पवन कुमार शुक्ला)

विशेष न्यायाधीश, उत्पाद न्यायालय–प्रथम,

कैमूर(भभुआ)।